सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़
पत्र सं0-168/2021 **दिनांक- 02-अप्रैल-2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना अहरौला

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आगामी त्रिस्तरिय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थो/अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 01.04.2021 को उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त आनन्द सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ केदारपुर नहर पुलिया पर समय 23.10 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-49/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

आनन्द सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 49/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

थाना-फूलपुर

दुष्कर्म के मुकदमें का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.3.21 को थाना क्षेत्र फूलपुर निवासी द्वारा थाना फूलपुर पर शिकायत दर्ज करायी कि अभियुक्त मो0 फैज आलम पुत्र मोईन अहमद द्वारा घर मे घुसकर मेरी बहन के साथ उसके कमरे में मुंह दबाकर दुष्कर्म किया व शोरगुल की आवाज पर परिवारी जन के पहूंचने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमंकी देते हुये भाग गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 44/21 धारा 376,452,504,506 भादवि¾ पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त मो0 फैज आलम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचन निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी द्वारा सम्पादित की जा रही है। पीड़िता का 161 सीआरपीसी बयान दर्ज किया गया व मेडिकल सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा महिला सम्बन्धी अपराधो में वांछित चल रहे अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 02.04.2021 को निरीक्षक अपराध थाना फूलपुर अवधेश कुमार अवस्थी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 44/21 धारा 376,452,504,506 भादवि¾ पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त मो0 फैज आलम पुत्र मोईन अहमदसाकिन भोरमऊ बडी तकिया थाना फूलपुर आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 9.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय चालान किया गया ।

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0सं0 44/21 धारा 376,452,504,506 भादवि¾ पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर , आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

मो0 फैज आलम पुत्र मोईन अहमदसाकिन भोरमऊ बडी तकिया थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी थाना फूलपुर,आजमगढ़
2. हे0का0 गुलाब यादव थाना फूलपुर,आजमगढ़

थाना - मुबारकपुर

जान से मारने की नियत से हमला करने वाले हमलावर गिरफ्तार

दिनांक- 01.03.2021 को समय 17.08 बजे पर आवेदक संदीप कनौजिया पुत्र सुद्धु कन्नौजिया निवासी ग्राम अबाडी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे गांव अमृतलाल के दामाद नन्दन कन्नौजिया पुत्र स्व0 केदार कन्नौजिया निवासी ग्राम मिर्जाहाजीपुर जनपद मऊ का है दिनांक 29.03.2021 को समय करीब सायं 07.00 बजे मेर दरवाजे पर चढ़कर मेरे पिता सुद्धु को गाली गुप्ता देते हुए ईट के टुकडे को लेकर घर मे घुसकर मेरे पिता जी को गिराकर ईट के टुकडे से सिर पर प्रहार किया जिससे उनका सिर फट गया तथा उनकी दोनो आखे बाहर आ गयी तथा वे खून से लथपथ हो गये शोर पर परिवारी जन द्वारा बीच बचाव किया गया तथा स्थानीय पुलिस खबर पाकर सबको लेजाकर सदर अस्पताल आजमगढ़ मे भर्ती करायी । कि उपरोक्त तथ्य के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 69/2021 धारा 323,504,506,452,308 भा0द0वि0 के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

आज दिनांक 02.04.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर टीम बनाकर उपरोक्त अपराध को कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दविश दी जा रही थी कि ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में जो व्यक्ति मार पीट किया था वह व्यक्ति आज फिर कोई बड़ी घटना कारित करने की फिराक में है जैसे ही पुलिस बल उस व्यक्ति के पास पहुँचे कि वह हड़बड़ा कर भागने का प्रयास किया कि पुलिस द्वारा हिकमत अमली से वहीं पर समय करीब 10.15 बजे पकड़ लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – पूछने पर बता रहा है कि साहब अबाड़ी में मेरा ससुराल है दिनांक- 29.03.2021 की रात में मेरी व सुद्धु कनौजिया के परिवर वालो से काहासुनी व हाथा पाई हो गयी थी आज पुनः मेरे पहुचने पर ये लोग मुझसे कहासुनी करने लगे थे ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 69/2021 धारा- 323,504,506,452,308 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

नन्दन कन्नौजिया पुत्र स्व0 केदार कन्नौजिया निवासी ग्राम मिर्जाहाजीपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण प्रजापति, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
2. हे0का0 फूलचन्द यादव, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
3. का0 ऋषिकेश राय, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

थाना तरवाँ

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह बोंगरिया बाजार में मामूर थे की तभी मुखबिर खास ने बताया कि मु0अ0सं0 25/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त अजय सिंह पुत्र स्व. जितेन्द्र सिंह निवासी नदवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ जो रासेपुर तिराहे पर पान की गुमती के आड़ में खड़ा है तथा वाराणसी जाने वाली बस से भागने के फिराक में है। वह बस का इन्तजार कर रहा है की मुखबिर खास की बातों पर विश्वास करके प्र 0नि0 मय हमराहीयान के साथ मुखबिर खास को साथ लेकर रासेपुर के लिए चल दिये कि रासेपुर पुलिस चौकी पर पहुंचकर वही पर सरकारी बोलेरो को खड़ा कर दिये तथा पैदल ही रासेपुर तिराहे के लिए चल दिये की तिराहे से 20 कदम पहले गुमती की आड़ में खड़े व्यक्ति की तरफ मुखबिर खास इशारा करके वहां से हटबड़ गया कि पुलिस बल द्वारा एकबारगी दबिश देकर गुमती की आड़ में खड़े व्यक्ति को वही पर पकड़ लिया गया। उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अजय सिंह पुत्र स्व . जितेन्द्र सिंह निवासी नदवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया जो मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 25/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

अजय सिंह पुत्र स्व. जितेन्द्र सिंह निवासी नदवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 12/2020 धारा 419/420 भा0द0वि0 व 60/60A/63/72 आबकारी अधि0 व 51/63 कापी राइट एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 131/18 धारा 272/273/419/420 भा0द0वि0 व 60(1)/63 आबकारी अधि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 39/16 धारा 419/420/467/468/471/272/273 भा0द0वि0 व 60 EX.ACTथाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 40/016 147/323/332/333/336/353/504/506/308 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT
5. मु0अ0सं0 25/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां जनपद आजगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक तरवां (स्वतंत्र कुमार सिंह) मय हमराह

थाना तरवाँ

वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी के गिरफ्तारी में व0उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह हे0का0 मनीष सिंह, का0 पिन्टू यादव एक, का0 राकेश कुमार व म0का0 साक्षी सिह मय जीप वाहन संख्या UP 50 AG 0370 मय चालक का0 अजीत पटेल कस्बा खरिहानी में मौजूद थे कि तभी मुखबिर खास ने बताया कि मु0अ0सं0 42/2021 धारा 498A/323/507/304B भा0द0वि0 व ¾ DP ACT से सम्बन्धित अभियुक्त रामप्रवेश चौहान पुत्र रामजपित चौहान ग्राम कटता थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व अभियुक्ता श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी रामजपित चौहान ग्राम कटता थाना तरवां जनपद आजमगढ़ , इस समय खरिहानी बाजार से आगे आजमगढ़ तिराहे पर मन्दिर के बगल में खड़े है तथा किसी वाहन का इंतजार कर रहे है। कि मुखबिर खास की बातो पर विश्वास करके व0उ0नि0 मय हमराही मय सरकारी जीप मय चालक के साथ मुखबिर खास को साथ लेकर आजमगढ़ तिराहे के लिए चल दिए कि 20 कदम पहले मुखबिर गाड़ी रूकवाकर मन्दिर के पास खड़े एक पुरूष व एक महिला की तरफ इशारा करके से चला गया कि एकाएक पुलिस की गाड़ी देखकर खड़े व्यक्ति व महिला पीछे मुड़कर चिरैयाकोट रोड की तरफ भागने लगे कि हमराही कर्म0गण की मदद से 30-40 कदम जाते जाते वही पर घेरकर पकड़ लिया गया तथा उनका नाम पता पूछा गया तो पुरूष व्यक्ति ने अपना नाम रामप्रवेश चौहान पुत्र रामजपित चौहान ग्राम कटता थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व महिला ने अपना नाम श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी रामजपित चौहान ग्राम कटता थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया जो मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.00 बजे अभियुक्त को हिरासत पुलिस में व अभियुक्ता उपरोक्त को महिला का0 के हिरासत में लिया गया। अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 42/2021 धारा 498A/323/507/304B भा0द0वि0 व ¾ DP ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता–

1. रामप्रवेश चौहान पुत्र रामजपित चौहान ग्राम कटता थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी रामजपित चौहान ग्राम कटता थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

व0उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह

थाना- जीयनपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.02.2021 को वादी फरीद अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी शाहपुर नेवादा थाना जीयनपुर आजमगढ के लिखित तहरीर के आधार पर प्रतिवादी द्वारा वादी से पाँच हजार रुपये गुण्डा टैक्स मांगना मना करने पर तंमचा निकालकर धमकी देने के सम्बन्ध में दी गयी थी , प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2021 धारा 386 IPC पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 02.04.2021 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह ईगल मोबाइल के कर्म0गण का0 अवनिश यादव व का0 शशांक मिश्रा के देखभाल क्षेत्र तलाश वाँछित अपराधी कस्बा जीयनपुर में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 44/2021 धारा 386 IPC से सम्बन्धित व्यक्ति अल्लीपुर मोड़ पर खड़ा है कही जाने की फिराक में साधन का इन्तजार कर रहा है इस सूचना पर विश्वाश कर मय हमराह कर्म0गण मय मुखबिर को साथ लेकर अल्लीपुर मोङ से कुछ पहले पहुँचा ही थे कि मुखबिर खास इशारा करके बता कि जो ब्यक्ति चक्की के सामने मोङ पर खड़ा वही ब्यक्ति है और हट बढ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर कर पकङने का प्रयास किया गया को भागने लगा कि रोड के किनारे स्थित खेतो में गड्ढा होने के कारण गिर गया कि हमराही कर्म0गणो की मदद से 10 कदम की दुरी पर पकङ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम बिजय यादव पुत्र सचिन यादव पुत्र शिवचन्द यादव सा0 हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ बताया कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजाफ्ता बाकायदा समय करीब 13.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

(1)-मु0अ0सं0 348/13 धारा 147/302/120बी भादवि0व 7 सीएल एक्ट

(2) मु0अ0सं0 350/13 धारा 147/148/336/302/353/332/333/341/435/436 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट

(3) मु0अ0सं0 467/13 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट

(4) मु0अ0सं0 315/2020 धारा 147/149/386/507 भादवि0

(5) मु0अ0सं0 395/2020 धारा 384/504 भादवि0

(6) मु0अ0सं0 44/2021 धारा 386 भादवि0

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>-

बिजय यादव पुत्र सचिन यादव पुत्र शिवचन्द यादव सा0 हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अवनीश सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 शंशाक मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>थाना- बरदह</u>

<u>एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

आज दिनाक 02.04.2021 को उ0नि0 संजय़ कुमार सिह मय हमराह हे0का0 योगेन्द्र कुमार यादव व का 0 अभय प्रताप सिंह द्वारा वांछित ,वारंटी व ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु ग्राम सरायमोहन मे मौजूद थे कि मुखबीर ने सूचना दिया कि वांरटी गुड्डू पुत्र पंचम मुसहर सा 0 सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ अपने घऱ पर ही मौजूद है। इस सूचना पर उ 0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह के गुड्डू उक्त के घऱ पर पहुचा तो देखा कि घर के बाहर एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा मिला। नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गुड्डू पुत्र पंचम मुसहर सा 0 सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ बताया जिसको माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं 0 8 आजमगढ द्वारा निर्गत वारण्ट धारा 8/22 एनडीपीएस से अवगत कराकर समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 34 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।